वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 07.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, आज, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 07.05.2025

निर्माण कार्य स्थलों का अपर सचिव ने किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा ने मंगलवार को सिकरौल, शिवपुर, भोजूबीर, रिंग रोड के 7 निर्माणों स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने जोनल अधिकारियों को आदेश दिया कि अपने क्षेत्र के अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई करें। अधिक से अधिक प्रकरणों में नियमानुसार शमन कराएं। ब्यूरो

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। प्रवर्तन दल ने सारनाथ में तीन अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा। गोइठहां सारनाथ में राघवेंद्र सिंह सोलंकी की ओर से 95 वर्गमीटर में अवैध निर्माण किया जा रहा था। वहीं, तिलमापुर सारनाथ में संदीप मिश्रा की ओर से और मवइयां सारनाथ में यशोदा देवी की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार और अवर अभियंता विनोद कुमार ने कार्रवाई की। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 07.05.2025

आवासीय भवन में हो रहा व्यावसायिक निर्माण

जागरण संवाददाता, वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा मंगलवार को खुद क्षेत्र में अवैध निर्माण देखने निकल पड़े। क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध निर्माण देख नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, सुपरवाइजर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि भोजूबीर से रिंग रोड तक सड़क के किनारे बन रहे सात अवैध निर्माण को चिह्नित करने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई भवन आवासीय होने के साथ उनमें व्यवसायिक निर्माण मिले। उन्हें नोटिस जारी कर शमन मानचित्र दाखिल कराया जाएगा। जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के गोइठहां में राघवेन्द्र सिंह, तिलमापुर में संदीप मिश्रा, मवइया में यशोदा देवी के अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 07.05.2025

आधा दर्जन नवनिर्माण हुए सील

विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डाक्टर गुडाकेश शर्मा ने मंगलवार को सिकरौल जोन में कई स्थानों पर निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया और बिना अनुमति के बन रहे निर्माण कार्यों पर स्थलीय निरीक्षण के बाद क्षेत्रीय अभियंताओं से नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कुल सात स्थलों का निरीक्षण किया। जिसमें भोजूबीर से रिंगरोड तक सड़क के दोनों तरफ नवनिर्माण तेजी से किया जा रहा है इसके साथ ही व्यवसायिक का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। मौके पर उन्होंने भवन स्वामियों से मानचित्र के विषय में जानकारी ली लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें मानचित्र के विषय में कुछ बताने से मना कर दिया। मौके पर छह प्रकरणों को तत्काल सील किया गया एवं निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार काररवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान सील किये गये भवनों की फोटोग्राफी करायी गयी। भवन स्वामियों को निर्देश दिया गया कि विभाग में समन मानचित्र दाखिल करे और आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद भी निर्माण की काररवाई करें। सिलिंग काररवाई के बाद निकटम थाने की अभिरक्षा में सभी आधा दर्जन निर्माणों को सौंप दिया गया। काररवाई में अपर सचिव के अतिरिक्त जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता रोहित कुमार, प्रवर्तन दल, क्षेत्रीय सुपरवाइजर मौजूद थे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 07.05.2025

अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध वीडीए की कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा ने प्राधिकरण विकास क्षेत्र के जोन-1 सिकरौल व शिवपुर-वार्ड के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता रोहित कुमार एवं प्रवर्तन दल के साथ भोजूबीर से रिंग रोड के दोनों तरफ कुल सात निर्माणाधीन भवनों का मंगलवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवासीय एवं बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण कार्य गतिमान पाया गया। इसी क्रम में जोनल अधिकारी (जोन-1) को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत भोजूबीर से रिंग रोड तथा इससे लगे अन्य सड़कों के दोनों तरफ के गतिमान नवनिर्मित निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण कर आवासीय एवं व्यावसायिक अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध विधि संगत प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों में नियमानुसार शमन करायें। निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र एवं शमन स्वीकृत होने तथा धनराशि जमा होने का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाय। इसके साथ ही निर्देश दिया गया कि इन आवासीय एवं व्यावसायिक कुल छह प्रकरणों पर प्राथमिकता पर नियमानुसार सील आदि करते हुए शमन कराना सुनिश्चित करें। प्रभावी प्रवर्तन विषयक कार्रवाई करते हुए आख्या के साथ फोटोग्राफ्स प्रभारी अधिकारी (भवन) के माध्यम से सात दिन में प्रस्तुत करें।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 07.05.2025

वीडीए ने तीन भवनों का निर्माण कार्य कराया बंद

वाराणसी। वीडीए की टीम ने मंगलवार को जोन-2, सारनाथ वार्ड में कई भवनों को सील कर दिया। टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही कर सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। टीम ने वार्ड सारनाथ के अंतर्गत राघवेन्द्र सिंह सोलंकी, द्वारा आ.सं. 295, मौजा गोईठहा में लगभग 95 वर्गमीटर के भूमि क्षेत्रफल में एस+जी+1 तल का निर्माण कार्य, वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत संदीप मिश्रा, मौजा तिलमापुर में लगभग 150 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल जी+2 तलों पर अनाधिकृत निर्माण कार्य एवं वार्ड सारनाथ के अंतर्गत यशोदा देवी पत्नी राम बचन यादव द्वारा भ.सं. 15/25 क मौजा मवईया, नित्यानंद हास्पिटल के पास लगभग 30 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण कार्य को बंद कराया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 07.05.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र के जोन-1 सिकरौल व शिवपुर-वार्ड के जोनल अधिकारी, शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, रोहित कुमार एवं प्रवर्तन दल के साथ भोजूबीर से रिंग रोड के दोनों तरफ निम्न प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 07 स्थलों/निर्माणों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान

आवासीय एवं बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण गतिमान पाया गया। उपरोक्त के क्रम में जोनल अधिकारी (जोन-1) को आदेशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत भोजूबीर से रिंग रोड तथा इससे लगे अन्य सड़कों के दोनों तरफ के गतिमान/नवनिर्मित निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण कर गतिमान आवासीय एवं व्यावसायिक अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध विधि संगत प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों में नियमानुसार शमन कराने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र/शमन स्वीकृत होने तथा धनराशि जमा होने का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाय। जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त आवासीय/व्यावसायिक कुल-06 प्रकरणों पर प्राथमिकता पर नियमानुसार सील आदि करते हुए शमन कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार प्रभावी प्रवर्तन विषयक कार्यवाही करते हुए आख्या मय फोटोग्राफ्स सहित प्रभारी अधिकारी (भवन) के माध्यम से 07 दिवस में आख्या प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण करने वाले प्रकरणों में नियमानुसार शमन की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाय।

न्यायाधीश–दि0 07.05.2025

वाविप्रा अपर सचिव ने किया 07 स्थलों/ निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र के जोन-1 सिकरौल व शिवपुर-वार्ड के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार एवं प्रवर्तन दल के साथ भोजूबीर से रिंग रोड के दोनों तरफ निम्न-प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 07 स्थलों/ निर्माणों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवासीय एवं बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण गतिमान पाया गया। उपरोक्त के क्रम में जोनल अधिकारी (जोन-1) को आदेशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत भोजूबीर से रिंग रोड तथा इससे लगे अन्य सड़कों के दोनों तरफ के गतिमान/नवनिर्मित निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण कर गतिमान आवासीय एवं व्यावसायिक अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध विधि संगत प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों में नियमानुसार शमन कराने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र/शमन स्वीकृत होने तथा धनराशि जमा होने का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाय। जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त आवासीय/व्यावसायिक कुल-06 प्रकरणों पर प्राथमिकता पर नियमानुसार सील आदि करते हुए शमन कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार प्रभावी प्रवर्तन विषयक कार्यवाही करते हुए आख्या मय फोटोग्राफ्स सहित प्रभारी अधिकारी (भवन) के माध्यम से 07 दिवस में आख्या प्रस्तुत करें।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 07.05.2025

वीडीए जोन-2 द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गई

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2, वार्ड-सारनाथ के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार,अवर अभियंता विनोद कुमार व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही । सील बंद कराये गये निर्माणी का विवरण निमन्वत हैः वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत राघवेन्द्र सिंह सोलंकी, द्वारा आ0सं0:-295, मौजाः गोईठहा, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 95 वर्गमीटर के भूमि क्षेत्रफल में एस+जी+1 तल का निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत संदीप मिश्रा, द्वारा मौजा-तिलमापुर, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 150 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल जी+2 तलों अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया।. वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत यशोदा देवी पतनी श्री राम बचन यादव, द्वारा भ0सं0-15/25 क मौजा-मवइया, नित्यानंद हास्पिटल के पास वार्ड-सारनाथ, वाराणसी में लगभग 30 वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 07.05.2025

वाविप्रा में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण कार्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा एवं समीक्षा की गई। नगर क्षेत्र के विभिन्न पार्कों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई तथा पार्कों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण हेतु कार्य को तेजी से व गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशत किया गया त इस सम्बन्ध में पार्को में सेल्फी पॉइंट बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए ।मोहनसराय स्थित करनाडाडी, मिल्कीचक, सरायमोहन एवं बैरवन में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विकास कार्य की प्रगति पर चर्चा हुई, तथा उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि भूमि उपयोग, आवंटन प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।शिवपुर स्थित पूर्व-निर्मित मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम परियोजना की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि बरसात से पूर्व मिट्टी भराई व दर्शकदीर्घा के विस्तारीकरण के कार्य को प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिए गए तथा परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं पर आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर सुझाव दिये।बैठक के दौरान सचिव वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता अजय पवार, अधिशासी अभियंता (निर्माण), सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं संबंधित परियोजना प्रभारी अधिकारियों उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 07.05.2025

स्मार्ट सिटी-311 ऐप का प्रशिक्षण एवं शिकायत निस्तारण की समीक्षा बैठक

वाराणसी । वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी 311 ऐप पर शिकायत निस्तारण हेतु एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्राधिकरण सभागार में किया गया। शहर में वायु प्रदुषण के कारणों को चिन्हित करके उनका समय से समुचित निस्तारण करने हेतु शासन द्वारा स्मार्ट सिटी-311ऐप बनाया गया है उक्त ऐप पर वायु प्रदुषण के कारणों यथा निर्माणाधीन स्थलों पर हरा परदा, पानी का छिड़काव, बिल्डिंग मैटेरियल को ढकने सहित बिल्डिंग मलबे का समुचित निस्तारण समय से सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली बनायी गयी है। स्मार्ट सिटी 311एप पर चिन्हित प्रकरणों में वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, इत्यादि विभागों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त ऐप पर निस्तारण रिपो एंव फोटोग्राफ अपलोड किया ज होता है। उक्त के सम्बन्ध में वाराण विकास प्राधिकरण के जोन अधिकारी एंव अवर अभियन्ता तथ सम्बन्धित टीम को आज स्मार्ट सिटी ऐप की प्रशिक्षक प्रागी मिश्र एवं पियूष द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण को निर्माणधीन भवनों एंव विभागीय निर्माण स्थलों पर पर्दा लगाने पानी का छिड़काव करने सहित वायु प्रदुषण रोकने हेतु समुचित कार्यवाही कराने को निर्देशित किया गया। एयर पोलुशन एक्शन ग्रुप (एपीएजी की टीम वायु प्रदुषण के कारको का शहर में चिन्हांकन करेगी एवं प्रदुषण के स्त्रोतों पता लगायेगी और संबन्धित विभागों , जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण शामिल है, को शिकायत भेजेगी। यहि कही निर्माण कार्य हो रहा हो तो वहा ग्रीन नेट का उपयोग, पानी का छिड़काव सहित अन्य प्रासंगिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि वायु प्रदुषण न बढ़े।प्रशिक्षण कार्यशाला के उपरान्त प्राधिकरण सभागार उक्त बैठक में जोनल अधिकारी, अवर अधिकारी, भवन लिपिक सहित प्रवर्तन कार्मिक उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 07.05.2025

उपाध्यक्ष वाविप्रा ने किया नवीन जिला पुस्तकालय निर्माण स्थल का निरीक्षण एवं दिये वैकल्पिक मार्ग चिन्हांकन के निर्देश'

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अर्दली बाजार स्थित पूर्व-निर्मित राजकीय जिला पुस्तकालय, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र तथा उसके समीप स्थित जीर्ण-शीर्ण आवासीय भवनों के परिसर को ध्वस्त करते हुए आधुनिक सुविधायुक्त नवीन जिला पुस्तकालय के स्थल का निरीक्षण वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग द्वारा किया गया।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि स्थल पर प्रस्तावित निर्माण का चिन्हांकन किया जाए, जिससे प्रस्तावित निर्माण की सही स्थिति स्पष्ट हो सके।साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया कि प्रशन्गत स्थल की पहुंच अर्दली बाजार मुख्य मार्ग से भी सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए वैकल्पिक पहुंच मार्ग के चिन्हांकन हेतु सर्वे कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था मेसर्स युनिवास्तु बूट्स इन्फ्रा लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा वी0डी0ए0 से अवर अभियंता विजय सिंह भी उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 07.05.2025

वीडीए जोन 1 की प्रवर्तन टीम ने भोजूवीर से रिंग रोड तक चलाया अवैध निर्माण रोको अभियान

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र के जोन-1 सिकरौल व शिवपुर-वार्ड के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता रोहित कुमार एवं प्रवर्तन दल के साथ मंगलवार को भोजूबीर से रिंग रोड के दोनों तरफ निम्न प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 07 स्थलों/निर्माणों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवासीय एवं बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण गतिमान पाया गया। इस क्रम में जोनल अधिकारी (जोन-1) को आदेशित किया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत भोजूबीर से रिंग रोड तथा इससे लगे अन्य सड़कों के दोनों तरफ के गतिमान/नवनिर्मित निर्माणों का स्थलीय निरीक्षण कर गतिमान आवासीय एवं व्यावसायिक अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध विधि संगत प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों में नियमानुसार शमन कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र/शमन स्वीकृत होने तथा धनराशि जमा होने का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाय।जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त आवासीय/व्यावसायिक कुल-06 प्रकरणों पर प्राथमिकता पर नियमानुसार सील आदि करते हुए शमन कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार प्रभावी प्रवर्तन विषयक कार्यवाही करते हुए आख्या मय फोटोग्राफ्स सहित प्रभारी अधिकारी (भवन) के माध्यम से 07 दिवस में आख्या प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृति से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण करने वाले प्रकरणों में नियमानुसार शमन की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाय।